न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/33

रामकिशन आत्मज गोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम धनावा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
———अपीलान्ट

बनाम

1. शोभादार आत्मज कालू जाति अहीर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उडन वाले बाबा के पास ग्राम पंचायत धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रामावतार आत्मज कालू जाति अहीर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उडन वाले बाबा के पास ग्राम पंचायत धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. शोराज आत्मज कालू जाति अहीर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उडन वाले बाबा के पास ग्राम पंचायत धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
4. कैलाशी पत्नी रामावतार अहीर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उडन वाले बाबा के पास ग्राम पंचायत धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. लाडूराम आत्मज मंजू राम जाति मोग्या निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उडन वाले बाबा के पास ग्राम पंचायत धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
6. सोहनी बाई पत्नी मंजूराम जाति मोग्या निवासी ग्राम रघुनाथपुरा उडन वाले बाबा के पास ग्राम पंचायत धाबाईयों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत ग्राम राजपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 965/283 रकबा 02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के द्वारा वादी का वाद स्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी दिनांक 22.06.2015 को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुआ था और वादी की कैम्प में अंगूठा निशानी करवाई और कहा कि मौके पर पटवारी कानूनगो जॉच करने आएगे और तत्समय आपको बुला लिया जावेगा मौके की रिपोर्ट आने पर ही फाईल में आगे कार्यवाही की जावेगी परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.12.2017 को मौके पर एक ट्रोल पत्थर डाल दिये जिस पर अपीलान्ट द्वारा जानकारी करने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल पक्षकारान की सहमति के आधार पर राजीनामा द्वारा निर्णय किया जाता है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान की बिना सहमति के आधार पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्णय एंव डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर निर्णय करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 22.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा